रजिस्टर्ड नं0 HP/13/SML/2005.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 30 दिसम्बर, 2005/9 पौष, 1927

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–171004, 27 दिसम्बर, 2005

संख्या वि0स0–विधायन–गवर्नमैंट बिल/1–66/2005.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) विधेयक, 2005 (2005 का विधेयक संख्याक–27)

4066–राजपत्र/2005–30–12–2005—1,473. (5551) मूल्य : एक रुपया।

जो आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2005 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका हैं, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ता / –

(जे0 आर0 गाज़टा),
सचिव ।

2005 का विधेयक संख्यांक 27.

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) विधेयक, 2005

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का निरसन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अधिनियम, 2005 है।

(2) यह नवम्बर, 2005 के प्रथम दिवस को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2005 के अधिनियम संख्यांक 15 का निरसन और व्यावृत्तियां।

2. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) उक्त अधिनियम का निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन पूर्व प्रवर्तन या सम्यक् रूप से की गई या होने दी गई किसी बात, या

(ख) उक्त अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार या बाध्यता या दायित्व, या

(ग) उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के सम्बन्ध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड, या

(घ) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड से सम्बन्धित किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाहियाँ या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तनशील रखा जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा, मानों उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया है।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं, और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को निधियां उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 27 अप्रैल, 2005 को प्रवृत्त हुआ। क्योंकि वर्तमानतः राज्य की वित्तीय स्थिति संतोषजनक है इसलिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) को निरसित करने का निर्णय लिया गया।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का निरसन करना आवश्यक हो गया था, इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश संख्यांक 9) 22–10–2005 को प्रख्यापित किया गया और जिसे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 22–10–2005 को प्रकाशित किया गया था। अब उक्त अध्यादेश को नियमित अधिनियमिति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना अपेक्षित है।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित करने के लिए है।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

शिमलाः
तारीख.....2005

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का निरसन करने के लिए है। ऐसे निरसन से राजकोष को लगभग पच्चीस करोड़ रूपये की वार्षिक प्राप्तियां प्रोद्भूत नहीं होंगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—— शून्य——

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(आबकारी एवं कराधान विभाग नस्ति संख्या ई.एक्स.एन.–एफ (6)2/2005)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) विधेयक, 2005 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, उपर्युक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर (निरसन) विधेयक, 2005

हिमाचल प्रदेश वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर अधिनियम, 2005 (2005 का 15) का निरसन करने के लिए विधेयक।

रंगीला राम राव,
प्रभारी मन्त्री ।

सुरेन्द्र सिंह ठाकुर,
प्रधान सचिव (विधि) ।

शिमलाः
तारीख.....2005

AUTHORITATIVE ENGLISH TEST

Bill No. 27 of 2005.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (REPEAL) BILL, 2005

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Act, 2005.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 2005.

Repeal of Act No. 15 of 2005 and savings.

2. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 is hereby repealed.

(2) The repeal of the said Act shall not affect-

(a) the previous operation of, or anything duly done or suffered under the said Act, or

(b) any right, privilege or obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Act; or

(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence under the said Act, or

(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and, any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Act had not been repealed.

Repeal and Saving.

3. (1) The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments(Repeal) Ordinance, 2005 is hereby repealed.

Ord. No. 9 of 2005.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 came into force on 27th day of April, 2005 with the object of providing funds for the social security system. Since the financial condition of the State is satisfactory at present, therefore, it was decided by the Government to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005) was required to be repealed urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Ordinance, 2005(Ord. No. 9 of 2005) on 22nd October, 2005 and the same was published in Rajpatra, Himachal Pradesh(Extra-ordinary) on 22nd October, 2005. Now, the Ordinance is required to be replaced by a regular enactment.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance without any modification.

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary(Law).

SHIMLA:
The————, 2005.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill seeks to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005. By such repeal the annual receipts of Rs. 25 crores approximately will not accrue to the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION

(File No.EXN-F(6)2/2005)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Repeal) Bill, 2005, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction in and consideration by the Legislative Assembly of the said Bill.

THE HIMACHAL PRADESH TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS (REPEAL) BILL, 2005

A

BILL

to repeal the Himachal Pradesh Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 2005 (Act No. 15 of 2005).

RANGILA RAM RAO,
Minister-in-Charge.

SURINDER SINGH THAKUR,
Principal Secretary (Law).

SHIMLA:
The————, 2005.

नियन्त्रक मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।